Estd: 1990

CONFEDERATION OF ALL INDIA TRADERS

(An Apex Body of Trade Federations, Associations & Small Scale Sector of India)

"Vyapar Bhawan", 925/1 Naiwala, Karol Bagh, New Delhi-110 005, Ph. 91+11+45032665, Telefax:+91+11+45032664, e-mail: caitindia@yaho

OFFICE OF UDM
Dy. No. 4120
Date 23/11/11

A14

23/11
PS to UD
Sec (UD)

16 Nov., 2011

Shri Kamal Nath
Hon'ble Union Minister for Urban Development
Govt. of India
New Delhi

Respected Kamal Nath Ji,

Please find enclosed here a representation of our Affiliated Association Prashant Vihar Shops & Establishment Association on Mid Term Review of Master Plan -2021.

Thanking you. With regards

Truly yours

Praveen Khandelwal
Secretary General
Cell: 9891015165

REGN. NO. 40234 OF 2001

PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)

OFFICE : A-13, PRASHANT VIHAR, DELHI - 110085 PHONE : 011-27568595, 27860488

Ref. No. PVA/27/11 Dated 16-11-11

To,

Sh. Kamal Nath
Minister of Urban Development of India
Nirman Bhawan, New Delhi-110001

विषयः— मास्टर प्लान 2021 में संशोधन के संबंध में कुछ मुख्य सुझाव एवं अन्य संबन्धित समस्याओं के निवारण हेतु निवेदन

माननीय महोदय,

समाचार पत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार/डी.डी.ए. दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में सुधार हेतू जनता से सुझाव आमंत्रित किये गये है इस संबन्ध में हमारे कुछ सुझाव निम्नलिखित है।

1 . 4.4.3 **Control for Building/Buildings within Residential Premises**

क. अतिरिक्त निर्माण के नियमितिकरण हेतू लाई गई दिनांक 22.09.2006 की अधिसूचना का लाभ लाखों सम्पतियों को अभी तक नहीं मिला है। (जिसके कई कारण रहे है) अतः हमारा सुझाव है कि मास्टर प्लान के इस भाग में वर्णित धारा संख्या **A Residential Plot-Plotted Housing** की क्रम संख्या 2 एवं 4 में वर्णित दिनांक 22.09.2006 के स्थान पर वर्तमान तिथि अंकित की जाए। जिससे जनता इसका लाभ उठा सके।

ख. इसी भाग के **Terms/Condition** की क्रम संख्या (IV) में सब डिवीजन की इजाजत दी जाए क्योंकि दिल्ली में लाखों की संख्या में सम्पत्तियां फ्लोरवाइज़ एवं पोरशनवाइज़ बिक चुकी है जिन्हें नियमित करने हेतू इन सम्पत्तियों के सब डिवीजन की इजाजत देना अति आवश्यक है।

ग. क्रम संख्या (VI) बैसमेन्ट के संबंध में हमारा सुझाव है कि जो सम्पत्तियां **Mixed Use Regulations (Chapter 15.0)** के अर्न्तगत आती है उनके बैसमेन्ट को FAR में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

घ. क्रम संख्या (VIII) के पार्किंग के संबंध में हमारा सुझाव है कि जो प्रावधान 07.02.2007 को मौजूद थे वह जारी रखें जाए।

Parking for facilities

पिछले दिनों दि.न.नि. ने नक्शा पास करने हेतू 100 मी0 एवं इससे बड़े रिहायशी एवं मिक्स यूज **Regulations** के अन्तर्गत मौजूद भवनों के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग बनाना अनिवार्य कर दिया है। जबकि यह सर्वविदित है कि जो भवन बन चुके है और उसके विभिन्न भागों के विभिन्न मालिक है। वहां यह पार्किंग बनाना सम्भव नहीं है। अतः हमारा सुझाव है कि पार्किंग की अनिवार्ता 250 मीटर और इस से बड़े प्लाटों के नव निर्माण पर ही लागू होने चाहिए तथा 250 मीटर से छोटे प्लाटों पर दी गई छूट जारी रहनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली नगर निगम 20 मीटर से बड़ी (24 कैटगिरी) की सम्पत्तियों को छोड़ के बाकी सभी उपयोग कर्ताओं से पार्किंग शुल्क वसूलता है।

ड. **क्रम संख्या (XVII) के सम्बन्ध में** इस संबन्ध में हमारा सुझाव है कि नियमित कालोनियों में 250 मीटर तक के प्लाटों एवं 3 मी0 से ऊचीं ऊचांई पर मौजूद 1 मीटर तक के छज्जों को भी नियमित करने की इजाजत दी जाए क्योंकि इस प्रकार के छज्जें दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में बने हुए है जिन्हें आज तोड़ा जाना सम्भव नहीं है। जो छज्जें कवड है उसे FAR में जोड़ा जाए और जो छज्जे कवड नहीं है उसे FAR में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

2. 15.0 Mixed use Regulations के सम्बन्ध में => Permission for commercial activities on the 13.5 m Road in C, D, E & F

क. कैटगिरी C, D, E एवं F में मौजूद 13.5 मी0 और इससे ऊपर की सभी सड़कों/एरिया जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक दूकानें/कार्यालय या अन्य गतिविधियां मौजूद है, जिसकी लोकल शॉपिंग सैन्टर में इजाजत है। ऐसी सभी सड़कों/एरिया को पूर्णतः कर्मशियल घोषित किया जाना चाहिए।

ख. 15.4 की क्रम संख्या (IV) का वास्तव में कोई औचित्य नहीं है अतः इसे हटाया जाना चाहिए।

ग. छज्जों के सम्बन्ध में हमारा सुझाव है कि नियमित कालोनियों में Mixed Use Regulations के अन्तर्गत मौजूद सम्पत्तियों मे 3 मी0 से ऊचें 1 मीटर तक के छज्जों को नियमितिकरण की श्रेणी में रखा जाए। क्योंकि व्यवहारिक रूप से इन्हें आज तोड़ा जाना संम्भव नहीं है। जो छज्जे कवड है उन्हें FAR में जोड़ा जाए। तथा जो छज्जे कवड़ नहीं है उन्हें FAR में नहीं जोड़ा जाना चाहिये।

घ. **पार्किंग शुल्क के सम्बन्ध में** दिल्ली नगर निगम ने एकाएक इस वर्ष से नोटिफाइड सड़को पर मौजूद 20 मीटर तक की 24 कैटेगिरी की छोटी दुकानों से पार्किंग चार्ज वसूल करना शुरू कर दिया है जबकि इनको पार्किंग चार्ज से कानूनन छूट मिली हुई है डी.डी.ए. द्वारा जारी नोटिफिकेशन The DDA (Fixation of Charge for Mixed use and Commercial use of Premises) Regulations 2006 एवं 2007 की धारा 7.3 में लिखा है **"No development Charges for Parking Shall be Payable by small shopowners of area upto 20 sqm. Dealing with the items/activities as defined in para 15.6.3 of the Master Plan for Delhi 2021 in respect of any category of colonies."** जिस में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि दिल्ली की किसी भी कैटेगिरी की

कालोनियों में इन 20 मीटर तक की 24 कैटेगिरी (15.6.3 में वर्णित) की सभी दुकानों को पार्किंग शुल्क ना देने की छूट प्राप्त है जो कि भारत सरकार/शहरी विकास मंत्रालय की सहमति से डी.डी.ए. ने इन सभी (उपयोगकत्ताओं/सम्पत्तिधारकों) को प्रदान की है चाहे वे नोटिफाइड सड़को पर मौजूद हो, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव करना वास्तव में समानता के सवैधानिक अधिकार का खुला उल्लंघन है।

उपरोक्त लिखित सुझावों के अतिरिक्त मास्टर प्लान एवं भवन नियमों से सम्बन्धित कुछ अन्य समस्याएं है जिनका निवारण भी जल्द से जल्द किये जाना अति आवश्यक है। सम्बन्धित समस्याएं एवं सुझाव निम्नलिखित है।

कैन्सिल लीज डीड वाली सम्पत्तियां एवं प्रोसिक्यूशन्स केसों के सम्बन्ध में जिन भवनों की लीज डीड कैन्सिल है/प्रक्रिया में है, इनमें ऐसी सम्पत्तियां जिनको मास्टर प्लान 2021 दिनांक 07.02.2006/15.09.2006 के अनुसार मिश्रित/कर्मिशयल भू प्रयोग की अनुमति मिल चुकी है या दिनांक 22.09.2006 की अधिसूचना से राहत मिली है ऐसी सम्पत्तियों की लीज डीड नियमित की जाए तथा डमैज/मिसयूज चार्ज आदि एवं प्रोसिक्यूशन्स केसों (कोर्ट केस) समाप्त किये जाए। इस सम्बन्ध में हम कई बार निवेदन कर चुके है तथा तत्कालीन माननीय मंत्री महोदय ने उस पर आदेश भी जारी किये थे परन्तु उसके बाद इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

काफी प्रयास के बाद मास्टर प्लान 2021 एवं 22.09.2006 की अधिसूचना के द्वारा दिल्ली के नागरिकों को राहत देने का प्रयास किया गया था परन्तु हमारी जानकारी के अनुसार बहुत कम सम्पतिधारक व्यापारी (लगभग 4000 से 4500) अपने अतिरिक्त/अवैध निर्माण को नियमित करा पाए है। जबकि दिल्ली में अतिरिक्त/अवैध निर्माण की संख्या लाखों में है अतः भवनों के संशोधित नक्शे/अतिरिक्त निर्माण/अवैध निर्माण को मास्टर प्लान 2021/दिनांक 22.09.2006 की अधिसूचना के अनुसार स्वयं घोषित योजना (Self Assessment Sceem) के आधार पर नियमित करने की सरल व्यवस्था की जानी चाहिए इस सम्बन्ध में हम कई बार दि.न.नि. को निवेदन कर चुके है। (प्रति संलग्न है)।

अतः में हम आपसे प्रार्थना करते है कि उपरोक्त सुझावों, समस्याओं एवं तथ्यों पर विशेष ध्यान देते हुये आवश्यक कदम उठाये जाये। जिससे दिल्ली की जनता को रांहत एवं न्याय मिले।

धन्यवाद

निवेदन

प्रधान/महासचिव
सुभाष मलिक

Copy to :

1. Shri Tajender Khanna LG Delhi
2. Vice Chairmen DDA INA Delhi
3. The Principal Commissioner & Secretory D.D.A

REGN. NO. 40234 OF 2001

PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)

OFFICE : A-13, PRASHANT VIHAR, DELHI - 110085 PHONE : 011-27568595, 27860488

Ref. No. PVA/929 Dated 17/2/09

To
Shri Ajay Makan
Hon'able Minister of State for Urban Development
Delhi.

Sub.: Request for Restoration of cancelled lease Deeds & Withdrawal of cases of misuse / prosecution.

Sir,

On behalf of Prashant Vihar Shops & Establishment Association (Regd.) we would be very thankful for your esteemed continuous and dedicated efforts by issuing the Master Plan 2021. Under the Master Plan, lacs of peoples have got relief from sealing. Further, I want to draw your kind attention toward the cancellation of lease deed by DDA for alleged misuse of properties for commercial use in plots in Rohini.

Now in Master Plan relief has been given allowing commercial/ Mixed use on 2183 roads as per notification 07th September and 15th September under the Master Plan 2021.

Further it is our humble request to kindly look into the matter and direct the concerned Authorities for Restoration of the Cancelled Lease Deed, waiving off damaged charges so that the public is not deprived of the benefits which has been bestowed through the said notification. In the meantime we request for withdrawal of eviction notices issued to Property No. A-13, A-53, A-54, A-75, B-37, C-1/14 and B-373 and restore the lease deed of above mentioned plots in Prashant Vihar at earliest.

Thanking you,

Yours faithfully
For Prashant Vihar Shops &
Establishment Association (R)

(Subhash Malik)

PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)

Off. : A-13, Prashant Vihar, Delhi-110085 Phone :27568595, 27860488

Ref. No. ..... Dated 28/2/07

To

Shri Ajay Makan
Hon'able Minister of State for Urban Development
Delhi.

Sub.: Request for Restoration of cancelled lease Deeds & Withdrawal of cases on misuse / prosecution.

Sir,

On behalf of Prashant Vihar Shops & Establishment Association (Regd.), I am thankful that with your esteemed continous and dedicated efforts issuance of notification of Master Plan- 2021 has been possible with relief to lacs of people of Delhi who were since struggling for a common cause of livelihood. We further beg to draw your kind attention towards the cancellation of lease deeds by the DDA for alleged misuse of properties for commercial use on plots in Rohini / Other DDA colonies in Delhi. Heavy penalty as damaged charges has been imposed in these cases and in some other cases, even eviction notices have been issued by the DDA.

A Large number of prosecution cases for misuse are going on in the courts & action in some other cases is under process by the DDA.

Now in that Master plan relief is given allowing commercial / mixed land use on 2183 roads as per notification issued on 7th September and 15th September 2006 and therefore now no eviction proceedings will take place on such notified roads. Therefore, in view of the development, damaged charges levied by the DDA should be waived off and so called cancelled lease-deeds should be restored immediately without any further delay.

We further submit that all cases of prosecution pending in the court should be withdrawn and no further cases should be processed on these roads.

Now we request your honour to kindly look into the matter and direct the concerned Authorities for Restoration of the Cancelled Lease Deed, waiving off damaged charges so that the public is not deprived of the benefits which has been bestowed through the said notification. In the meantime we request for withdrawal of eviction notices issued to Property No. A-13, A-53, A-75, B-37, C-1/14, B-373 and D-29 and stopping eviction proceedings also against these properties forthwith on notified roads in Prashant Vihar.

Thanking you,

Yours faithfully
For Prashant Vihar Shops &
Establishment Association(R)

28/2

(Ved Mittal)

9810149311 / 9818533449

VC (DDA)
Kindly do the needful
The roads are already notified and they enjoy immunity through MPD 2021

ONFEDERATION
ALL INDIA TRADERS
x body of Trade Associations & Federations of India)
sh Bandu Gupta Road, Karol Bagh New Delhi-110005 (INDIA)
1+45032665, Fax : +91+11+45032664, E-mail : caitindia@yahoo.co.in

गर्व से कहो हम व्यापारी है

Be Proud to be a Trader

January 22, 2007

Shri Dinesh Rai
Vice Chairman,
Delhi Development Authority
New Delhi

Sub: Request for Restoration of Cancelled Lease Deeds & Withdrawal of cases of misuse / prosecutions.

Dear Shri Rai Ji,

I wish to draw you kind attention towards the cancellation of lease deeds by the DDA for alleged misuse of properties for commercial use on plots in Rohini / Other DDA Colonies in Delhi. Heavy penalty as damaged charges has been imposed in these cases and in some other cases; **even eviction notices have been issued by the DDA.**

A large number of prosecution cases for misuse are going on in the courts & action in some other cases is under process by the DDA.

In wake of notification on dated 07-09-2006 and 15-09-2006 allowing commercial / mixed land use of Properties on 2183 roads in Delhi, damaged charges as levied by the DDA should be waived off and so called cancelled lease deeds should be restored immediately without any further delay to meet the end of justice & all cases of prosecution pending in the court should be withdrawn and no further cases should be processed on these roads.

Therefore it will be appreciated if concerns authorities may be directed to restore cancelled lease deed & for waiving of damaged charges. It will be further appreciated if a convenient appointment is accorded to discuss the matter in person.

Thanking you, with kind regards

Praveen Khandelwal
Secretary General
Cell: 9891015165-9312099771

www.dda.org.in

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Receipt & Despatch Cell)

Acknowledgement

Receipt Number : REC / M / 07 / 2,896 Date: 07-6-07 4:37:11PM

Letter Date : 7/6/07

Subject : REQUEST

DDA file Number : NIL

Received From : PRASHANT VIHAR SHOP 7 ESTABLIS

Addressed To : M VICE CHAIRMAN, DDA

Enclosures Attached :-

Serial no.	code	Copy	Description
1	24	2	MISCELLANEOUS
	Total Pages	2	

1. The correctness of the above enclosures are subject to verification by the concerned Department

2. For any type of clarification and inquiry, please contact the branch officer concerned on any working Monday & Thursday between 2.30 PM to 5.00 PM.

Received By : UDAY BHANA

PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)

Off. : A-13, Prashant Vihar, Delhi-110085 Phone : 7568595, 7860488

Ref. No. PVR/1306/06

Dated 10th Dec. 06

To

Sh. Jai Pal Reddy,
Union Minister for Urban Development
Nirman Bhawan
New Delhi.

Sub. : Request for Restoration of Cancelled Lease Deeds & Withdrawal of cases of misuse / prosecution.

Sir,

We beg to draw your kind attention towards the cancellation of lease deeds by the DDA for alleged misuse of properties for commercial use on plots in Rohini / Other DDA Colonies in Delhi. Heavy penalty as damaged charges has been imposed in these cases and in some other cases, even eviction notices have been issued by the DDA.

A large number of prosecution cases for misuse are going on in the courts & action in some other cases is under process by the DDA.

Now in the changed circumstances, as the Govt. is serious to grant relief to the public & has also issued notification on dated 07.09.2006 & 15.09.2006 allowing commercial / mixed land use of Properties on 2183 roads in Delhi. Therefore, in view of this development, damaged charges as levied by the DDA should be waived off and so called cancelled lease-deeds should be restored immediately without any further delay.

We further submit that all cases of prosecution pending in the courts should be withdrawn and no further cases should be processed on these roads.

Now we request your honour to kindly look into the matter and direct the concerned Authorities for Restoration of the Cancelled Lease Deeds, waiving of damaged charges so that the public is not deprived of the benefits which has been bestowed through the said notification.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Prashant Vihar Shops & Establishment Association(R)

(Sh. Ved Mittal)
Gen. Secretary

PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)

Off. : A-13, Prashant Vihar, Delhi-110085 Phone : 27568595, 27860488

Ref. No. .....

Dated 25/5/07

Shri Ajay Makan
Minister of State for Urban Development
Govt. of India
New Delhi

Sub: **Request for considering problems relating to regularisation of shops on notified roads under MPD-2021.**

Sir,

Your kind honour after due consideration have provided relief to the people of Delhi by declaring the commercial / mixed land use on 2183 roads in Delhi through notification dated 07.09.2006 and MPD-2021. But in the present scenario , we presume that due to non clarification / confusion on certain policies / points the relief given to the general public has not proved fruitful.

1. **CONVERSION CHARGES / PARKING CHARGES**

   As the association have been requesting to your honour from time to time that conversion charges are very high and need consideration that it should be one time and reasonable instead of recurring charges / annual.

2. In some areas of Rohini like Prashant Vihar / Rohini, sufficient parking sites are already in existence. There seems no necessity to develop more parking sites on the notified commercial / mixed land use roads. In these areas parking charges should be waived off. Wherever parking sites are required the parking charges should be nominal and justified.

3. Due to unaffordable conversion charges / parking charges it is practically not possible for the shopkeepers in general to deposit the necessary conversion charges/ parking charges with the MCD before the last date i.e. 30.06.2007

Contd 2

4. According to the clause 10.9 (III) of notification dated 07.09.2006 " No modification to the buildings for using residential premises for non-residential activities, under the mixed land use policy shall be permitted unless the allottee / owner has obtained sanction of revised building plans and has paid necessary fees or charges". In this context it is stated that almost 99% unauthorised constructions / buildings existing on notified roads have not been regularised due to unclear regularisation policies of MCD. It is requested that Moratorium should be extended for one more year.

It is requested that time extension in this case should be granted till justified (one time conversion charges and reasonable parking charges are not declared).

Thanking you,

Yours sincerely

(VED MITTAL)
General Secretary

COPY TO:

1. Commissioner MCD, Town Hall, Delhi

2. Addl. Commissioner MCD, Town Hall, Delhi

REGN. No. 40234 OF 2001

PRASHANT VIHAR SHOPS & ESTABLISHMENT ASSOCIATION (R)

OFFICE : A-13, PRASHANT VIHAR, DELHI - 110085 PHONE : 011-27568595, 27860488

Ref. No. .....

Dated .....

1. आयुक्त महोदय,
दिल्ली नगर निगम

2. अतिरिक्त आयुक्त (इंजीनियरिंग) महोदय
दिल्ली नगर निगम

विषयः— अतिरिक्त निर्माण/अवैध निर्माण के नियमितीकरण से सम्बंधित समस्याओं के निवारण तथा दि0न0नि0 के आर्थिक सुधार के सम्बन्ध में

महोदय,

हम आपका ध्यान ऐसी समस्या की ओर दिलाना चाहते है जो कि भविष्य में एक अत्यन्त गंभीर समस्या का रूप धारण कर सकती है। वह है भवनों में अतिरिक्त निर्माण/अवैध निर्माण का नियमितीकरण जो कि दिल्ली के नागरिकों तथा व्यापारियों के लिये निश्चित रूप से परेशानी का कारण बन रहा है। इस संबंध में दिनांक 07.09.2006 एवं 22.09.2006 को जारी की गई, अधिसूचना तथा मास्टर प्लान 2021 के द्वारा राहत देने की कोशिश की गई थी, परन्तु वास्तव में यह राहत अब तक केवल लगभग 4000—4500 लोगों तक ही सीमित रही है। जबकि दिल्ली में अवैध निर्माण वाली सम्पतियाँ लाखों की संख्या में है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अवैध निर्माण के नियमितीकरण की योजनाओं को जनता में सही से प्रचारित नहीं किया गया तथा न ही नियमितीकरण की प्रक्रिया को सरल किया गया। परिणाम स्वरूप अब तक अधिकतर सम्पत्तिधारक अपने अवैध निर्माण को नियमित नहीं करा पाए है।

इस विषय मे हम यह स्पष्ट करना चाहते है कि जिन व्यापारियों को दिनांक 07.09.2006 की अधिसूचना/मास्टर प्लान 2021 के द्वारा मिश्रित/कर्मशियल भू—प्रयोग की अनुमति दी गई है, उनको भी इस अधिसूचना एवं मास्टर प्लान के अनुसार अतिरिक्त निर्माण/संशोधित भवन का नक्शा नियमित कराना आवश्यक है। हमारी जानकारी के अनुसार बहुत कम व्यापारी ही भवन का संशोधित नक्शा नियमित करा पाये है क्योंकि नियमितीकरण की प्रक्रिया में कई प्रकार की अड़चने है जिन्हें अतिशीघ्र दूर करने की आवश्यकता है।

हम लम्बे समय से लगातार इस विषय में जानकारी लेने का प्रयास करते रहे है। कई बार आर.टी.आई.एक्ट के अन्तर्गत आवेदन/अपील भी की गई परंतु आज तक भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। कई वास्तुकारो से भी जो जानकारी अब तक प्राप्त हुई है, वह भी भ्रमित तथा अधूरी है। जनता में सही व पूरी जानकारी ना होने के कारण भी बहुत कम सम्पत्तिधारक नियमितीकरण करा पाए है।

पिछले दिनों समाचार पत्रों के माध्यम (कृपया संलग्न पृष्ठ सं.....देखे) से ज्ञात हुआ है कि पिछले दो सालों में (अक्टूबर 2008 से अक्टूबर 2010 तक) दिल्ली में 1906 सम्पत्तियो के अवैध/अतिरिक्त निर्माणों का नियमितीकरण हुआ है जिससे दि0न0नि0 को 35 करोड़ रूपये का राजस्व, नियमितीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ यानि एक सम्पत्ति से औसतन 1,83,630/– रूपये प्राप्त हुए। जबकि दिल्ली में (एम.वी.सी.–3 के अनुसार) लगभग 45 लाख सम्पत्तियां है जिनमें से वास्तव में लगभग 90 प्रतिशत सम्पत्तियों में कुछ ना कुछ अवैध निर्माण अवश्य है परन्तु फिर भी यदि हम इन सम्पत्तियों में मौजूद अवैध/अतिरिक्त निर्माण की संख्या कम से कम पांच लाख मान ले तो 500000X1,83,630/– = 91815000000/– रूपये की धनराशि दिल्ली नगर निगम को–प्राप्त हो सकती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की–होगी तथा इससे जनता को सीलिंग एवं तोड़फोड़ से राहत के साथ–साथ दि0न0नि0 को भरपूर राजस्व भी मिल सकता है जो कि दिल्ली नगर निगम की योजनाओं तथा राजधानी के विकास को तेज गाति दे सकता है।

इसके लिए दि0न0नि0 को नियमितीकरण हेतु एक सरल, उदार एवं स्वयं – आंकलन आधार पर सेल्फ एसेसमेन्ट स्कीम को पुनः लागू करके दिल्ली में मौजूद सभी प्रकार की सम्पत्तियो (रिहायशी, कमर्शियल, डी.डी.ए. मार्किटें, मिश्रित एवं कर्मशियल भू–प्रयोग भवन, औद्योगिक आदि) में मौजूद अवैध/अतिरिक्त निर्माण को सम्बन्धित अधिसूचनाओं एवं मास्टर प्लान 2021 के आधार पर नियमितीकरण की दिशा में एक सार्थक कदम उठाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ मुख्य निम्नलिखित कदम उठाने अति आवश्यक है :–

(क) नियमितीकरण योजना में सबसे बड़ी समस्या जो अब तक आई है कि नियमितीकरण कराने के लिए एक भवन के प्रत्येक भाग के सभी सम्पत्तिधारकों को संयुक्त रूप से नक्शा जमा कराना पडता है जो कि अधिकतर मामलों में व्यावहारिक रूप से संभंव नहीं हो पाता है। अतः जिस प्रकार कनवर्जन शुल्क/पार्किंग शुल्क जमा कराने के लिए सम्पत्तिधारक स्वयं केवल अपने स्वामित्व एवं उपयोग वाले स्थान का ही शुल्क जमा कराता है (उसी के आधार पर दि0न0नि0 ने उसे कार्य करने /प्रयोग की इजाजत दी हुई है) उसी प्रकार सम्पत्तिधारक द्वारा केवल अपनी ही सम्पत्ति के (पोरशन वाइज) संशोधित नक्शें एवं नियमितीकरण शुल्क को जमा कराकर स्वयं आंकलन/सेल्फ एससेमेन्ट द्वारा नियमितीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। हम यहां यह भी स्पष्ट करना चाहते है कि दि0न0नि0 पहले ही प्लाटों के सब–डिवीजन का प्रस्ताव पास कर चुका है। (कृपया संलग्न पृष्ठ सं0.....देखें)

(ख) पूरे भवन/फ्लोर वाइज/कई फ्लोर के स्वामित्व वाली सम्पत्तियों (कृपया संलग्न पृष्ठ सं.....देखें) में मौजूद अवैध/अतिरिक्त निर्माण को स्व–आंकलन/सेल्फ एसेसमेन्ट आधार पर नियमितीकरण की पुनः व्यवस्था होनी चाहिए तथा कम्पलीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाना चाहिए।

(ग) जोड़ो (दो मिले हुए प्लाट)/छज्जो वाले मामलों में भी नियमितीकरण हेतु स्व–आंकलन आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए। जोडों एवं छज्जो के सम्बन्ध में भी दि0न0नि0 प्रस्ताव पास कर चुका है अतः नियमित कालोनियों में भी 1 मीटर तक के छज्जों को भी नियमित किया जाए (यदि आवश्यकता हो तो सम्पत्तिधारक से यह शपथपत्र लिया जा सकता है कि इस सम्बन्ध में भविष्य में जो भी अन्तिम निर्णय होगा सम्पत्तिधारक उसे मानेगा)।

(घ) नियमितीकरण योजना को सरल एवं उदार किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत जनता की परेशानी को दूर करने हेतु प्रत्येक जोन में एकल खिड़की व्यवस्था हो जिस पर तुरन्त नक्शा तथा नियमितीकरण शुल्क जमा करके हाथो–हाथ नियमितीकरण किया जाए तथा पंजीकृत आर्किटेक्ट से भी नियमितीकरण एवं नक्शा पास कराने की छूट हो जिससे जनता को भ्रष्टाचार से राहत मिले।

(ड़.) पूरे भवन के साथ–साथ फ्लोरवाइस नक्शे ऑनलाईन पास कराने की तथा कम्पलीशन सर्टिफिकेट पंजीकृत आर्किटेक्ट से जारी कराने की व्यवस्था हो जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। (कृपया संलग्न पृष्ठ सं.....) देखें

(च) इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित अधिसूचनाओं, आदेशों एवं स्व–आंकलन नीति की सरल पुस्तिका बनाई जाए (जिसकी कई बार मांग भी की गई है) तथा जनता में इन योजनाओं का पूर्णतः प्रचार–प्रसार किया जाए तथा सभी विवरण वेबसाइट पर भी उपलब्ध हों।

(छ.) पिछले दिनों दि0न0नि0 ने नक्शा पास करने हेतु 100 मीटर एवं इससे बड़े रिहायशी एवं अन्य प्लाटों के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग बनाना अनिवार्य कर दिया है इसमें कई प्रकार की व्यावहारिक दिक्कतें आएगीं यह अनिवार्यता 250 मीटर एवं इससे बड़े प्लाटों के नवनिर्माण पर ही लागू होनी चाहिए तथा 250 मीटर से छोटे प्लाटों को इससे छूट होनी चाहिए। (संलग्न पृष्ठ सं0.....)

अन्त में हम आपसे प्रार्थना करते है कि उपरोक्त तथ्यों पर विशेष ध्यान देते हुए इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए जिससे जनता को लाभ व राहत के साथ–साथ दिल्ली नगर निगम की आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार हो तथा दिल्ली का विकास हो।

धन्यवाद

संलग्न :–

निवेदक

प्रति प्रेषित :–(आवश्यक कार्यवाही हेतू)

.....

प्रधान/महासचिव

.....

.....

रिपोर्ट समयबद्ध जारी करने जैसी मांगों को लेकर नार्दन रेलवे मेन्स यूनियन की एक सभा बड़ौदा हाउस स्थित उत्तर रेलवे मुख्यालय में की गई। इसी सभा में यूनियन के नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा–यदि अंतरिम राहत की जल्दी घोषणा नहीं की गई तो कर्मचारी जोरदार राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे।

& JEWELLERY

Learn Gemology
Diamond Grading
Jewellery Designing

Tel-011- 41724700, 9891049735

सार्वजनिक सूचना

दिल्लीवासियों के लिए अवैध निर्माण को नियमित करवाने का सुनहरा अवसर !

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम बनाम कल्याण संस्थान सोशल वेलफेयर एवं अन्य के मामले में दिनांक 16 मार्च, 2007 को दिए गए निर्देशों में दिल्ली नगर निगम को यह अनुमति प्रदान कर दी है कि वह अवैध निर्माण को नियमित करवाने के उन आवेदनों को भी स्वीकार करे जिनमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आवेदन के साथ Non-compoundable deviations को गिराने का शपथ-पत्र न लगा हो। इन निर्देशों के अनुपालन में, दिल्ली नगर निगम ने रिहायशी भू-खंड विकास (Residential Plotted Development) एवं अन्य नियोजित विकास क्षेत्रों में अवैध निर्माण को नियमित करने की योजना प्रारम्भ की है। दिल्लीवासी अपने भवनों में किए गए अवैध निर्माण को उस सीमा तक नियमित करा सकते हैं जिसकी अनुमति मास्टर प्लान–2021 में ग्राउंड कवरेज, एफ.ए.आर. और ऊंचाई से सम्बन्धित भवन नियमों में दी गई है।

दिल्लीवासियों को निम्नलिखित कदम उठाने हैं:

क. यह सुनिश्चित करें कि फाइल में निम्नलिखित दस्तावेज लगे हैं –
- (i) वर्तमान निर्माण के नक्शे के दो सैट जिस पर मालिक व पंजीकृत वास्तुकार के हस्ताक्षर हों।
- (ii) मालिकाना हक़ के दस्तावेज़ों की प्रतिलिपि, जो स्वयं सत्यापित हो।
- (iii) भवन अभियंता द्वारा ढांचे की मजबूती का प्रमाण-पत्र।
- (iv) पंजीकृत वास्तुकार का इस आश्य का प्रमाण-पत्र कि भवन मास्टर प्लान–2021 के भवन–नियमों के अनुरूप है।
- (v) मालिक का शपथ-पत्र कि अवैध निर्माण, जो अनुमति की सीमा से बाहर है, दो माह की अवधि के भीतर गिरा दिया जाएगा।
- (vi) वर्तमान भवन की फोटो के तीन सैट।

ख. दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 20.11.2006 की अधिसूचना / मास्टर प्लान–2021 के अंतर्गत जमा कराए जाने वाले Betterment Levy, Additional FAR Charges and Penalty / Compounding Charges / Special Compounding Charges के आकलन का विवरण।

ग. नक्शे की एक कॉपी बिना साइट इन्सपैक्शन के तुरन्त ही आवेदक को नियमिकरण की मोहर लगाकर सौंप दी जाएगी।

नियमिकरण के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2007 है।

दिल्ली नगर निगम के पास इस बात का पूरा हक़ सुरक्षित है कि वह वर्तमान निर्माण को सही अथवा गलत पाए जाने हेतु जांच करे और स्वयं निर्धारण करके जमा कराई राशि यदि कम पायी जाती है तो उसकी वसूली करे।

किसी भी अन्य जानकारी/स्पष्टीकरण हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशासी अभियंता (भवन) अथवा टाउन हॉल, मुख्यालय के अधिशासी अभियंता-भवन से सम्पर्क किया जा सकता है।

हस्ता./-
अतिरिक्त आयुक्त (अभियांत्रिक)
भवन विभाग (मुख्यालय)

दिल्ली नगर निगम

प्रेस एवं सूचना निदेशालय, दि.न.नि. द्वारा जारी

Rs 1199
Dep. 6:30 am, 10:15 am & 2:45 pm (non-stop)

IndiGo to Kolkata
Rs 1099*
Dep. 5:00 am & 3:00 pm

IndiGo to Hyderabad
Rs 1399*
Dep. 7:00 am & 3:45 pm

IndiGo to Goa
Rs 1299*
Dep. 3:20 pm

IndiGo to Chennai
Rs 1599*
Dep. 4:45 am, 7:00 am, 2:45 pm & 3:45 pm (non-stop)

IndiGo to Guwahati
Rs 1499*
Dep. 5:30 am

IndiGo to Bangalore
Rs 1799*
Dep. 6:45 am & 2:20 pm (non-stop)

Book now!
www.goindigo.in
Toll free 1 800 180 38 38
Phone 0 99 10 38 38 38
or call your travel agent.

हिन्दुस्तान - 12-4-2007

N.B.T.

(2)

दिल्ली नगर निगम

सार्वजनिक सूचना

मास्टर प्लान दिल्ली - 2021 के प्रावधानों का भूतल, प्रथम और द्वितीय तल के मालिकों द्वारा पालन

बड़ी संख्या में ऐसे आवासीय भूखण्ड है जिनके तल (फ्लोर) पंजीकृत सेल डीड और पावर ऑफ अटार्नी के माध्यम से अलग-अलग व्यक्तियों को बेचे गए हैं। ऐसे मामलों में हमेशा ऐसा सम्भव नहीं है कि भवन के सभी तलों को एक साथ नियमित किया जा सके, क्योंकि सम्भवतया भवन के सभी मालिक इसे नियमित कराने के लिए एक साथ आगे न आएँ। नियमितीकरण की सुविधा देने के लिए अब, हर तल के अलग-अलग मालिक दिल्ली नगर निगम में स्व-आकलन (Self-assesment basis) आधार पर नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अब, अतिरिक्त कवरेज का लाभ अलग-अलग मालिक को मास्टर प्लान दिल्ली - 2021 के अनुसार प्रत्येक तल पर अनुमत्य भवन आवरण के अंदर मौजूदा निर्मित (कवर्ड) क्षेत्र के अनुपात में दिया जाएगा। ये रीतियाँ (Modalities) भूतल, प्रथम और द्वितीय तल के नियमितीकरण के इच्छुक मालिकों पर लागू होंगी।

वर्तमान में तृतीय और इससे ऊपर वाले तलों के नियमितीकरण की अनुमति नहीं है।

प्रक्रिया विधि :

क. आवेदक को आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

(i) तल (तलों) के वर्तमान निर्माण के प्लान, जिन पर फ्लैट स्थित है, के दो सैट जो मालिक और पंजीकृत वास्तुकार से विधिवत हस्ताक्षरित हों।

(ii) स्वयं सत्यापित स्वामित्व दस्तावेज की प्रति।

(iii) संरचना अभियंता (Structural Engineer) का संरचना स्थायित्व प्रमाण पत्र (Structural Stability Certificate).

(iv) पंजीकृत वास्तुकार का प्रमाण पत्र कि कुल निर्मित क्षेत्र, जिस पर यह तल बनाया गया है, मास्टर प्लान दिल्ली - 2021 के अनुसार आनुपातिक रूप से अनुमत्य भवन आवरण के अंदर है।

(v) इस आशय का क्षतिपूर्ति बंधपत्र कि शीर्षक (Title) अथवा अन्य प्रकार के किसी विवाद की स्थिति में निगम को कोई हानिमुक्त रखा जायेगा।

(vi) अलग-अलग कोणों से लिए गए फोटो के तीन सैट।

ख. दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 20.11.2006 के अनुसार स्व-आकलन आधार पर बेहतरी लेवी (Betterment Levy) / अतिरिक्त एफएआर प्रभार (FAR Charges) और दण्ड (Penalty) / चक्रवृद्धि प्रभार (Compounding Charges) / विशेष चक्रवृद्धि प्रभार (Special Compounding Charges) के भुगतान हेतु निम्नानुसार गणना करें :

दरें रु. प्रति वर्ग मीटर में

	प्रयोजन	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	नए निर्माण	3500/-	1400/-	700/-	490/-
2.	अनधिकृत निर्माण का नियमितीकरण				
(क)	स्वीकृत ऊँचाई के अंदर अतिरिक्त कवरेज	4020/-	1610/-	805/-	564/-
(ख)	स्वीकृत से ऊपर किन्तु अनुमत्य ऊँचाई के अंदर अतिरिक्त कवरेज (23.7.98 के अनुसार)	4375/-	1750/-	875/-	613/-
(ग)	23.07.1998 के अनुसार अनुमत्य ऊँचाई से ऊपर किन्तु 15 मीटर के अंदर अतिरिक्त कवरेज	4900/-	1960/-	980/-	686/-

ग. नियमितीकरण के लिए प्लान की एक प्रति विधिवत मुहर लगाकर स्थल सत्यापन (साइट वेरीफिकेशन) किए बिना तुरंत ही आवेदक को सौंप दी जाएगी।

तथापि, दिल्ली नगर निगम के पास वर्तमान निर्माण के अनुसार जमा किए गए दस्तावेजों के सही होने का सत्यापन करने और स्व-आकलन के आधार पर गणना की गई राशि में कमी होने पर उसका दावा करने का अधिकार सुरक्षित है।

अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए संबंधित जोन के अधिशासी अभियंता (भवन) से या अधिशासी अभियंता (भवन) मुख्यालय से टाउन हॉल में सम्पर्क किया जा सकता है।

हस्ता./–

अतिरिक्त आयुक्त (अभियांत्रिक)

प्रेस एवं सूचना निदेशालय, दि.न.नि. द्वारा जारी

किया जा सकता है। डिजास्टर
देश है उस पर स्पेशल रिपोर्ट

City No.1

कॉप्टर

अनुमोदन लेना होगा। भारतीय भूकंप क्षेत्र
भूकंप जोन - चार में आती है, जोकि दूसरा
अभी तक के रेकॉर्ड के मुताबिक राजधानी
वाले कई भूकंप आए हैं। दिल्ली-हरिद्वार
परिधि में आने वाले दिल्ली - मुरादाबाद
8.5 तक की तीव्रता के भूकंप

ही तैयार किए गए भूकंप मैनुअल और
सार संवेदनशील ढांचों को फिर से मरम्मत
है। खतरे की पहचान के आधार पर, जिसमें
तीव्रता की संभावना, क्षेत्र की भू-आकृति

जिद्दी कॉक्रोचों को कहिए अलविदा.

PCI

संचालित करने के लिए लाली सहित तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया था।

रूप से ही राहत मिल सकेगी।

में ऑटोमैटिक ब्रेक लगेगा।

नए बिल्डिंग बाइलॉज का तोहफा मिलेगा केंद्र से

लोगों को निगम और अन्य निकायों के दफ्तरों के चक्कर काटने से मिलेगी निजात

प्रभात कुमार

नई दिल्ली

पुराने पड़ चुके कड़े नियमों/उपनियमों की वजह से राजधानी में मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने से लेकर निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र हासिल करने के लिए आज भी लोगों को निगम व अन्य निकायों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लोगों को इन परेशानियों से राहत दिलाने के लिए केन्द्र सरकार दिल्ली के लिए नए बिल्डिंग बायलॉज बनाने पर विचार कर रही है। इसका खुलासा केन्द्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपने हलफनामे में किया है।

न्यायमूर्ति ए. के सीकरी की अध्यक्षता वाली विशेष खंडपीठ के समक्ष सरकार ने राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए गैर-सरकारी संगठन 'कल्याण संस्थान' की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए दायर किया है। सरकार ने यह जवाब मकान पूरा होने का प्रमाण-पत्र समय सीमा के भीतर ऑनलाइन दिये जाने के दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव के बाबत एक्ट में संशोधन किये जाने के बारे में हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दिया है।

क्या था निगम का प्रस्ताव

दरअसल दिल्ली नगर निगम ने अपने विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मकान का निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर जारी करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करने की इच्छा जताई थी। निगम वर्तमान में मकान की जांच करने के लिए अधिकारियों के मौके पर जाने के आवश्यक प्रावधान को हटाना चाहती है और इसके बदले में कोई भी व्यक्ति अपने मकान का निर्माण पूरा होने के बारे में पंजीकृत आर्किटेक्ट के हलफनामे के साथ आवेदन करने एक सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया था। इसके लिए निगम ने कहा था कि यह तभी संभव होगा जब केन्द्र सरकार वर्तमान कानून में संशोधन करेगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने केन्द्र से जवाब मांगा था।

दिक्कतें दिल्ली की

- नियमानुसार रिहायशी इमारतें की ऊंचाई 15 मीटर तक जबकि ज्यादातर दिल्ली में दिखती हैं इससे कहीं ऊंची इमारतें
- नियम भूतल और इसके ऊपर तीन मंजिलों की इजाजत देते हैं लेकिन दिल्ली में चार-पांच मंजिला इमारतें आम हैं।
- शहर में प्लाटिंग है पुरानी। मकानों के बंटवारे के बाद मालिक तो बढ़े और बदल गए लेकिन बंटी हुई संपत्ति का नक्शा पास नहीं करता निगम
- फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) की सीमा तो तय है लेकिन इसके आनुपातिक बंटवारे में आती हैं दिक्कतें
- मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के प्रावधान ज्यादातर इमारतों को ठहराते हैं आपत्तिजनक

कई जगह लगा जाम

नई दिल्ली। राजधानी में गुरुवार सुबह चीनी प्रधानमंत्री के लिए लगे वीआईपी रूट के कारण जाम लग गया। सुबह का वक्त होने के कारण लोग अपने-अपने काम पर जाने के लिए निकले थे, इस दौरान ही राजघाट जाने के लिए चीनी प्रधानमंत्री रूट लगाया गया था। इस कारण लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ा। सुबह करीब 10 बजे से 12 बजे के बीच इंडिया गेट, तिलक मार्ग, रिंग रोड व राजघाट पर लोग जाम में फंसे रहे, जबकि दोपहर दो बजे के बाद शाम तक संसद मार्ग, टॉलस्टाय मार्ग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, बाराखम्बा रोड व मंडी हाउस तक जाम लगा रहा। बुधवार रात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी जाम का सामना करना पड़ा। सात रेसकोर्स पर चीनी प्रधानमंत्री के लिए आयोजित रात्रिभोज में उन्हें पहुंचना था। (का.सं.)

17-12-10
हिन्दुस्तान

बैंक ऑफ़ बड़
Bank of Bar
100% finan
DDA HOUSING Sche
Pay ₹ 4500 for availing finance ₹ 1.50 Lac
₹ 1500 for availing finance of ₹ 0.50 lac
Scheme closes on 24.12.2010
- No extra charges (except stamp duty charg
- All Branches of Delhi, Gurgaon, F Ghaziabad will remain open on Sunday work upto 6pm on Saturday (18.12.2010)
- Interest will be charged from Closing Date o

Helpline No.
South Delhi : 9717831999, West Delhi : 9810331983,
9711422738, Central Delhi : 9968277676, 98115685
Ghaziabad : 9999318239, Faridabad : 991139993
All areas : 9958638811, 9250316497, 9971798948,

नगर निगम बढ़ा सकता है टोल टैक्स

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की ओर से टोल टैक्स बढ़ाने का मन बना लिया गया है। नए वित्तीय वर्ष में

BIG BOYS
Watch the Belly D

एक नजर

फांसी लगाकर दी जान

उत्तम नगर इलाके के मोहन गार्डन निवासी धनपाल(20) ने गुरुवार की शाम घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए डीडीयू अस्पताल भेजा गया है। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। खुदकुशी के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

खुदकुशी की

- ख्याला इलाके में सुनीता(27) ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसकी शादी वर्ष 1999 में कैलाश के साथ हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सुनीता के शव को पोस्टमार्टम के लिए डीडीयू अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

समाज सेवा करेंगे छात्र

- अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के छात्र तकनीक की दुनिया में नए कीर्तिमान स्थापित करने के साथ समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी काम करेंगे। आईआईटी दिल्ली का संगठन एआईईसीईसी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर समाज सेवा भी करेगा। इसके तहत छात्रों द्वारा एक हफ्ते का कांपेक्ट वीक मनाया जाएगा। जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा समाज में जागरूकता फैलाई जाएगी। एआईईसीईसी दिल्ली के बैनर तले ये छात्र कम करेंगे।

रेलगाड़ियां विलम्ब

- इलाहाबाद के पास एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण दिल्ली को आने वाली दो दर्जन से अधिक रेलगाड़ियां 20 घंटे से भी अधिक विलम्ब से चल रही है। कोहरे के कारण रेलगाड़ियां पहले से ही विलम्ब से चल रही है और मालगाड़ी के पटरी से उतरने से रेल यातायात और बाधित हो गया।

1906 प्रॉपर्टी नियमित 35 करोड़ की कमाई

कार्यालय संवाददाता

नई दिल्ली

अवैध निर्माण के बाढ़ तले दबे राजधानी में पिछले दो साल में दिल्ली नगर निगम ने महज 1906 प्रॉपर्टी के मालिकों ने अपने मकान के अवैध निर्माण को नियमित करवायें। निगम ने इन प्रॉपर्टी मालिकों से जुर्माना स्वरूप 35 करोड़ से अधिक रकम प्राप्त हुई। इसका खुलासा दिल्ली नगर निगम ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामा में किया है।

न्यायमूर्ति ए. के सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष निगम की ओर से अधिवक्ता अजय अरोड़ा व कपिल दत्ता ने बताया कि पिछले दो सालों में (अक्टूबर 2008 से अक्टूबर 2010) नोडल कमेटी के आदेश पर 11347 संपत्तियों को बुक करने सीलिंग व डिमोलिशन की कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा कि इसकेअतिरिक्त 10249 संपत्तियों को अवैध निर्माण के आरोप में बुक की गई हैं और जांच की जा रही है कि किस प्रकार की कार्रवाई किया जा सकता है। अधिवक्ता अरोड़ा ने हाईकोर्ट को यह भी बताया है कि फरवरी 2009 से अक्टूबर 2010 तक निगम के पास मकान का नक्शा पास कराने के लिए 6863 आवेदन आए और इनमें से 6474 का निपटारा कर दिया गया जबकि अन्य पर निर्णय लिया जाना बाकी था। नगर निगम ने यह अलफनामा राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने के लिए गैर सरकारी संगठन कल्याण संस्थान की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।

मामले की सुनवाई चार मार्च को होगी। निगम ने कोर्ट को यह भी बताया कि राजधानी में अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए 1266 हेल्पलाइन नम्बर शुरू किया है और इस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकते हैं।

दो प्रॉपर्टी सील, 8 में तोड़फोड़

दिल्ली नगर निगम की ओर से गुरुवार को भी शाहदरा साउथ जोन में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान प्राइम नगर में स्थित एफ 13 और एफ 244 बी प्रॉपर्टी में सीलिंग की गई। फर्श बाजार क्षेत्र में जोन की टीम ने 8 अवैध निर्माण तोड़ा। अर्जुन गली, नकुल गली, विश्वास नगर, गाइड नगर, मंडावली फजलपुर में निगम के दस्ते ने अतिक्रमण की कार्रवाई की।

शर्मा जी से पूछो...

प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेन्द्र शर्मा

यदि आपके मन में भी कोई अटपटा सा सवाल आ रहा है तो आप उस सवाल का चटपटा जवाब पाने के लिए अपने प्रश्न शर्मा जी से पूछ सकते हैं हमारा पता है:

शर्मा जी से पूछो
हिन्दुस्तान, 18-20 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
या ई मेल भेजें:
feedback@livehindustan.com

बीमारी से प
मंजिल से

नई दिल्ली। आर्थिक तंगी व बीमारी 30 वर्षीय एक मरीज इस कदर परेश हो गया कि उसने बुधवार सुबह जीबी प अस्पताल की सातवीं मंजिल से छलां लगाकर खुदकुशी कर ली। उसे दस दि पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया ग था। उसके दिल का ऑपरेशन हुआ था

घटनास्थल से कोई सुसाइड नो बरामद नहीं हुआ है। खुदकुशी क परिवार सदमे में है। पुलिस ने शव क पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जां आरंभ कर दी है। खुदकुशी करने वाल मरीज नसीम यमुनापार के कर्दमपुर

राजेश को पीटने के लिए दौड़ी महिला

पुलिस ने किसी तरह रोका, चीख-चीख कर देने लगी गालियां

हिन्दुस्तान

देहरादून/ दिल्ली

दरिंदगी की हद पार करने वाले राजेश के प्रति लोगों में किस कदर गुस्सा है, इस बात का प्रमाण गुरुवार को मिला। लोगों की जुबां पर न सिर्फ उसके लिए बद दुआएं हैं बल्कि मौका मिलने

चार दुकानों से जुटाए सबूत

पुलिस ने गुरुवार को कनाट प्लेस

दिनांक 20.12.2010 से 5 अंक रेलगाड़ियों की सं

बेहतर रेल प्रबंधन और यात्री सुविधाओं को और सु रेलगाड़ियों के नम्बर को पाँच अंकों का किया जा रहा है। दिनांक 20.12.2010 से दुरंतो, राजधानी, शताब्दी, जन साधारण, गरीब रथ, सुपरफास्ट सहित सभी मेल/एक्सप्रे चार अंक संख्या की शुरुआत में '1' अंक जोड़कर पाँच उदाहरण के लिए :-

रेलगाड़ी का वर्तमान नंबर	रेलगाड़ी का नाम
2001/2002	भोपाल-नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस
2053/2054	हरिद्वार-अमृतसर-हरिद्वार जनशताब्दी एक्सप्रेस
2203/2204	सहरसा-अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एसी एक्सप्रेस
2213/2214	यशवंतपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला-यशवंतपुर दुरंतो एक्सप्रेस
2217/2218	कोचुवेली-चंडीगढ़-कोचुवेली केरला सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस

...tions, Associations & Small Scale Sector ...
...45032664, e-mail: caitindia@yahoo.co

1-5-09

(5)

उपविभाजित प्लाटों पर बने मकानों के नक्शे पास करने की तैयारी

नई दिल्ली, (नगर प्रतिनिधि): दिल्ली नगर निगम राजधानी दिल्ली में स्थित उपविभाजित प्लाटों पर बने मकानों के नक्शे पास करने की कवायद शीघ्र शुरू करेगा। इससे दिल्ली के करीब 50 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

नगर निगम स्थाई समिति की बैठक में आज सदस्यों द्वारा दिल्ली में उपविभाजित प्लाटों पर बने मकानों के नक्शे पास न किए जाने से लोगों को हो रही परेशानी के निगम को आर्थिक नुकसान होने का मामला उठाए जाने पर अतिरिक्त आयुक्त इंजीनियरिंग नरेश कुमार ने बताया कि ऐसे प्लाटों पर बने मकानों पर फिलहाल नक्शे पास नहीं किए जा सकते। क्योंकि इनके लिए विशेष भवन उपनियम नहीं बने हैं।

उन्होंने बताया कि आज इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान केन्द्रीय बाहरी विकास मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि इसी माह जून माह के अन्त तक विशेष भवन उपनियम बनाए जाएं जो दिल्ली के नये मास्टर प्लान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप हो।

गाजीपुर बूचड़खाने की जल्दी ही दिक्कतें दूर होंगी : मेहरा : निगमायुक्त कंवल सिंह मेहरा ने पूर्वी दिल्ली स्थित गाजीपुर बूचड़खाने को विश्वस्तर का बताते हुए आज कहा कि फिलहाल इसको चलाने में आ रही दिक्कतें जल्द ही दूर कर दी जाएंगी।

निगम की स्थायी समिति की यहां बैठक में बूचड़खाने को लेकर विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाये गये सवालों का जवाब देते हुए श्री मेहरा ने कहा कि इसको स्थापित करने में विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले निकाली गई निविदा में इसे चलाने में आर्थिक रूप से कुछ दिक्कतें आ रही थीं किंतु अब इन दिक्कतों को दूर करने के लिए कदम उठाये गए हैं और जल्दी ही दिल्ली के लोगों को इस बूचड़खाने से बढ़िया गुणवत्ता वाला मांस उपलब्ध होने लगेगा।

नावल्टी सिनेमा की जगह वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को हरी झंडी

नई दिल्ली, (नगर प्रतिनिधि): पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट स्थित नावल्टी सिनेमा, मैजेस्टिक और जुबली सिनेमा की तरह अब इतिहास के पन्नों में ओझल हो जायेगा। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने सिनेमा स्थल पर वाणिज्यिक परिसर बनाये जाने को आज मंजूरी दे दी। निगम के इस फैसले का विरोध करते हुए विभिन्न समाज सेवी संगठनों ने आन्दोलन करने का निर्णय लिया है। स्थायी समिति में मंजूर प्रस्ताव के तहत नावल्टी सिनेमा की 1389 वर्ग गज भूमि को 99 वर्षों के लिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए पट्टे पर दिया जायेगा। निगम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाल ही में नावल्टी सिनेमा की भूमि वापस मिली है। प्रस्ताव के तहत परियोजना के एकमुश्त लाइसेंस शुल्क के लिए पांच करोड़ रुपए की राशि के अलावा 15 लाख रुपए वार्षिक शुल्क लिया जायेगा। निगम को तीस वर्ष के दौरान इस जमीन से साढ़े नौ करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होगी। यह परिसर डिजाइन-बनाओ, अपनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो के आधार पर बनाया जायेगा। परियोजना का ठेका खुली निविदा के आधार पर आवंटित किया जायेगा और बोलीदाता का समास वित्त वर्ष में कारोबार 200 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए।

बोलीदाता पिछले तीन साल से लाभ कमाने वाली कंपनी रही हो। उधर इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के विरोध में स्वयं सेवी संगठनों ने आंदोलन चलाने का फैसला किया है। दिल्ली बचाओ बनाओ समिति के अध्यक्ष संदीप निराला ने समिति के इस फैसले को पुरानी दिल्ली की जनता के साथ ज्यादती बताते हुए।

दिल्ली-गया के बीच स्पेशल ट्रेन

नई दिल्ली, (मैट्रो): रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने दिल्ली-गया के बीच एक विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह विशेष ट्रेन गया से प्रत्येक वीरवार और दिल्ली से प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी।

उत्तर रेलवे प्रवक्ता के मुताबिक गया-दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन प्रत्येक वीरवार को सायं 7.25 गया से चलेगी और अगले दिन 11.50 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। यह विशेष सेवा 21 ...

बीएलएड क्रेश कोर्स 3 जून से

नई दिल्ली, (मैट्रो): क्या आप दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएलएड पाठ्यक्रम करना चाहते हैं और इसमें दाखिले के लिए महंगी कोचिंग नहीं लेना चाहते तो डूसू आपकी मदद कर सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) बीएलएड में दाखिले के इच्छुक छात्रों को सस्ती कोचिंग उपलब्ध करवा रहा है। डूसू की ओर से आयोजित बीएलएड क्रेश कोर्स 3 जून से 14 जून तक होगा। यह क्रेश कोर्स डूसू आफिस के पीछे स्टडी सैंटर में होगा। डूसू उपाध्यक्ष मनोहर नागर ने बताया कि नए छात्रों को निजी कोचिंग सैंटरों की महंगी कोचिंग से बचाने के लिए डूसू ने क्रेश कोर्स शुरू करने का कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि क्रेश कोर्स के माध्यम से नए छात्रों को एनएसयूआई से जोड़ना है। बीएलएड क्रेश कोर्स ...

AM BOARD, FATEHABAD
E NO. 01/2009

ent of Rs. 250/- for works upto Rs. 20.00 lacs and Rs. 1000/- for works undersigned for the following works date & place of receiving & opening s will be issued upto 02.06.2009 by 1.30 PM & no tender form will be l and shall be opened on the same ed in New Grain market, Fatehabad so ever may like to be present. to Haryana PWD common schedule tems of works and in case of other

arnest Money	Time Limit	Date of Tender
3,300/-	3 Months	02.06.09
5,800/-	3 Months	02.06.09
3,600/-	3 Months	02.06.09
7,100/-	3 Months	02.06.09

ngs of work can be seen in the office
ations given in the detailed notice
of enlistment/renewal of enlistment ame of Executive Engineer, HSAM
h), PWD Irrigation, HUDA, HSIDC, nder in HSAMB under a appropriate d enlistment in the Board. form will only be issued to those
ped form shall not be entertained. g bills of the contractors subject to
to be summarily rejected. to the requirement of Engineer-in-
ler without assigning any reason. p. societies/unemployed graduate
lay, then the tenders will be opened
tificate of authourity than progress the magnitude for which they are society authorizing the person for
Rs. 5.00 lacs and for above will be ed:
the tune of Rs. 5.00 lacs and three of work which ever occure earlier. of tender forms.
unconditional. submission of tender, failing which
be deducted as per instructions of
m of the office.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER

बाल सेवा
महिला एवं बाल
वर्ष 2009 के रा
बाल सेवा के लि
किए जाएंगे जि
1) बाल विकास
2) बाल सुरक्षा,
3) बाल कल्या
संस्थानों के पेड
रुपये का नकद
इच्छुक व्यक्ति,
कार्य किया हो,
विकास विभाग,
आवेदन निदेशक
12.06.2009 को
सू.प्र.नि./0258/2009-

बाल
महिला एवं
2009 हेतु तीन
प्रदान करने का
"बाल कल्या
प्रदान किए जा
सर्वश्रेष्ठ कार्य
किसी व्यक्ति त
प्राप्त करने पर
(तीन लाख रुप
रु. 1.00 लाख
राष्ट्रीय रा
वाले व्यक्ति/
विभाग, पोर्ट
निर्धारित आवे
विकास विभाग
फार्म उनके पा
जाने चाहिए।
DIP/260/09-10

...ions Associa... ...2664 e-mail: caiindia@yah...

N.B. 20/1/9

(6)

अतिरिक्त निर्माण को रेग्युलर करने की कवायद शुरू

वरिष्ठ संवाददाता ॥ नई दिल्ली

एमसीडी ने नए मास्टर प्लान के अनुसार, रिहायशी, कमर्शल व इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में बढ़ाए गए अतिरिक्त निर्माण (एफएआर) को तुरंत प्रभाव से रेग्युलर करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बाबत ऐसी प्रॉपर्टी के मालिक एमसीडी के जोनल कार्यालयों में संपर्क कर एफएआर या नए निर्माण को रेग्युलर करवा सकते हैं। एमसीडी ने उनकी मदद के लिए गाइड लाइंस भी तैयार किए हैं।

एमसीडी की स्टैंडिंग कमिटी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के अनुसार, एफएआर के लिए प्रस्तावित रेट्स केंद्र सरकार ने नोटिफाई कर दिए हैं। इसके बाद रिहायशी, कमर्शल व इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के मालिक उस हिस्से को भी नियमित करवा सकते हैं, जिन्हें अब तक अवैध माना जा रहा था। इस बाबत एमसीडी के जोनल डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिए गए हैं कि वे केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए कन्वर्जन, मिक्स्ड लैंड यूज व अन्य शुल्कों को वसूल कर मामला निपटाएं। विजेंद्र का कहना है कि इस योजना से दिल्ली के लाखों लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें सीलिंग व तोड़फोड़ की आशंका से छुटकारा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग कमिटी ने जिस प्रॉपर्टी को अवैध व अनियमित करार दिया था, वे रेग्युलर हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि मामला सिर्फ एफएआर को रेग्युलर करने का नहीं है। बल्कि मास्टर प्लान के अनुसार, जिस अवैध निर्माण को निश्चित धनराशि लेकर नियमित करने की बात कही गई थी, अब उस प्रॉपर्टी भी रेग्युलर किया जा सकेगा। अब ऐसे नए या अतिरिक्त निर्माण मिक्स्ड यूज के तहत रेग्युलर हो सकेंगे, जो रिहायशी प्रॉपर्टी में किए गए हैं।

सीलिंग से राहत

- एमसीडी के जोनल कार्यालयों में संपर्क करना होगा
- एफएआर के लिए प्रस्तावित रेट्स सरकार ने नोटिफाई किया
- कन्वर्जन, मिक्स्ड यूज व अन्य शुल्क पर मिलेगा निपटारा मामला

फिर छाया कोहरा, फिर लेट हुईं फ्लाइट्स

स ॥ नई दिल्ली : आईजीआई एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से 50 से ज्यादा फ्लाइट्स 20 मिनट से लेकर चार घंटे तक की देरी से आईं और गईं। एक इंटरनैशनल फ्लाइट का मार्ग बदला गया और एक को कैंसल किया गया।

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, रनवे पर कोहरे का असर रविवार रात करीब 11:30 बजे दिखाई देना शुरू हो गया था। करीब डेढ़ घंटे बाद दोनों रनवे की विजिबिलिटी काफी कम हो गई और रनवे नंबर-29 पर यह 650 तक आ गई। सोमवार सुबह 10:05 बजे के बाद ही विजिबिलिटी में सुधार आना शुरू हुआ। जिन एयरक्राफ्ट्स में कैट-1, 2, 3ए और 3बी की सुविधा नहीं थी, वे इस दौरान न तो टेकऑफ कर पाई और न ही लैंड। कोहरे की वजह से मस्कट से दिल्ली आने वाली एयरइंडिया की फ्लाइट को जयपुर भेजा गया, जबकि जेट एयरवेज की दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को कैंसल कर दिया गया। इस दौरान 113 फ्लाइट्स को ऑपरेट किया गया।

इसके अलावा, 12 डोमेस्टिक और 7 इंटरनैशनल फ्लाइट के समय में भी बदलाव किया गया। 50 से ज्यादा फ्लाइट्स के लेट होने के अलावा यात्रियों को उनका सामान मिलने में भी देरी हुई।

दो नेपालियों की हत्या, साथी फरार

स ॥ समयपुर बादली : राजा विहार की जे.जे. कॉलोनी में एक मकान से सोमवार सुबह राम प्रसाद (40) और कांचा (22) नाम के दो नेपालियों की लाशें बरामद की गईं। दोनों के शरीर पर चाकू के वार और मारपीट के निशान मौजूद थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। इनके साथ ही रहने वाला इनका एक अन्य नेपाली साथी राजू (22) वारदात के बाद से फरार है। पुलिस को शक है कि शायद उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है।

एक टिकट पर 6 वर्ल्ड हेरिटे

रिची वर्मा (टीएनएन) ॥ नई दिल्ली

पर्यटकों को बहुत जल्द नए साल का तोहफा मिलने वाला है। वर्ल्ड हेरिटेज के तहत आने वाली ऐतिहासिक इमारतों (मॉन्यूमेंट्स) को पर्यटक सिर्फ एक टिकट के जरिए ही देख सकेंगे। यानी अगर आप लाल किले के साथ कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और आगरा में आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी और ताज महल समेत कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक जगह से एक टिकट लेना है और आप उससे सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइ... बंदोबस्त के लागू होने... रहा तो इसे उन सभी ज... जहां एक से ज्यादा वर्ल्... यह प्रस्ताव एएसआई... कल्चरल मिनिस्ट्री ने सि... मिनिस्ट्री को संभालने... टीएनएन को बताया कि... वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स प... लग कर वक्त न बर्बाद क...

Times Tribute

Paying homage to the departed soul

Mr. Naresh Kumar Gupta

UTHAVANI

With profound grief & sorrow we regret to inform the sad demise of Mr. Naresh Kumar Gupta Husband of Smt. Radha Devi on 18.01.09. Uthavani will be held on 20.01.09 10 AM to 10.30 AM at A-30, Radha Krishan Mandir, CC Colony, Delhi-07

In Grief :

(Bhabi) Maya Devi, (Brother's) Ram Nivas Gupta, Bhim Sen Gupta, Padam Sen Gupta, (Son & Daughter in Law) Aman & Rani Gupta, (Daughter in law) Neha Gupta, (Daughter & Son in Law) Nimal & Rajiv Mittal, (Grand Son's) Nitin, Arpit & Nishi Gupta

Bajrang Electric Co. & Aman Electric Co.

इंडियामार्ट.कॉम को इंटेल कैपिटल से फं

एनबीटी ॥ नई दिल्ली

देश की प्रमुख ऑनलाइन बी2बी मार्केट प्लेस कंपनी इंडियामार्ट.कॉम को इंटेल कैपिटल से फंडिंग मिली है। इंटेल कैपिटल दुनिया की प्रमुख वेंचर कैपिटल कंपनी है। इंडियामार्ट.कॉम भारतीय सप्लायर्स और इंटरनैशनल बायर्स को इंटरनेट, प्रिंट मीडिया और ट्रेड शो के जरिए करीब लाती है। इंटेल कॉरपोरेशन की अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट कंपनी इंटेल ... तौर पर देखा जा रहा है। इस निवेश से बाजार पर कंपनी की पकड़ और मजबूत हो सकेगी और भारत के छोटे और मध्यम उद्योगपतियों का हौसला मजबूत होना तय है।

इंटेल ने दिसंबर 2005 में 25 करोड़ डॉलर का इंटेल कैपिटल इंडिया टेक्नॉलजी फंड बनाया था। इस फंड का इस्तेमाल भारत की टेक कंपनियों में निवेश के लिए किया जाता है ताकि लोकल स्तर पर ...

कोशि... की है... की स... यह ... और ... महत्व... भरोसे... मिलेग... मॉडल ... भा... साउथ...

प्रमुख संवाददा...

राजपथ पर ... वाली परेड को ... होने वाली रिहा... ने बदले हुए ... फैसला किया ... से निकलेगी ... रिहर्सल के दौ... कर सकेगी। ... वजह से बसों ... पहले ही टा... कर दिया जाएग...

डीटीसी प्रव... दिन यह परेड सु... से शुरू होगी औ... होगी। इस परेड ... विजय मार्ग को ... सचिवालय व ... बसों को कृष्णा ... कर दिया जाएग... राजाजी मार्ग हो... अरविंदो मार्ग ... लालकिला, पुराने ... जाने वाली बसें ...

P.K. 20/11

सम्पत्ति मालिकों को मिलेगा बढ़े हुए एफएआर का लाभ

नई दिल्ली, (नगर प्रतिनिधि): दिल्ली नगर निगम ने मास्टर प्लान 2021 के अनुरूप बढ़े हुए एफ.ए.आर. का लाभ सम्पत्ति मालिकों को देने का निर्णय लिया है। सभी क्षेत्रीय आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि रिहायशी, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं संस्थागत क्षेत्रों में सम्पत्तियों को नये मास्टर प्लान के अनुरूप बढ़े हुए एफ.ए.आर. के अनुसार कनवर्जन, मिक्स लैंड यूज एवं अन्य शुल्क प्राप्त कर नियमित करें।

निगम स्थाई समिति अध्यक्ष बिजेन्द्र गुप्ता ने आज यहां बताया कि दिल्ली के सम्पत्ति मालिक नये मास्टर प्लान के अनुरूप बढ़े एफ.ए.आर. के हिसाब से शुल्क जमा कराकर अपनी सम्पत्तियां नियमित करा सकते हैं। ऐसे सम्पत्ति कर दाताओं का मार्ग दर्शन करने हेतु निगम की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि निगम की इस योजना से ऐसे लाखों नागरिकों को लाभ पहुंचेगा जो रिहायशी, कमर्शियल, औद्योगिक एवं संस्थागत क्षेत्रों में स्थित उसकी अपनी सम्पत्तियों को बढ़े हुए एफ.ए.आर. के अनुसार नियमित कराना चाहते हैं। इन लोगों पर काफी समय से उनके निर्माणों पर सीलिंग व गिराने की तलवार लटकी हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गठित मानिटरिंग कमेटी ने भी ऐसी सम्पत्तियों को अवैध अनियमित करार दिया था। श्री गुप्ता ने बताया कि अब ऐसे नये निर्माण तथा अवैध निर्माण मिक्सड यूज के अन्तर्गत नियमित हो सकेंगे जो रिहायशी सम्पत्तियों में किए गए हैं और जिनमें वेसमेंट भी शामिल है। इन निर्माणों को नियमित करने हेतु शुल्क भी तय कर दिए गए हैं। नये निर्माण के लिए ए एवं बी. श्रेणी की कालोनियों में 3500 रुपए प्रति वर्ग मीटर, सी. एवं डी. श्रेणी की कालोनियों में 1400 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ई.एफ. एवं जी. श्रेणी की कालोनियों में 50 वर्ग मीटर से अधिक के आकार वाली सम्पत्तियों के लिए 700 रुपए, उक्त श्रेणी की कालोनियों के लिए 50 वर्ग मीटर तक वाली सम्पत्तियों के लिए 490 रुपए प्रति वर्ग मीटर, अनधिकृत निर्माणों के नियमितीकरण हेतु ए व बी. श्रेणी की कालोनियों में 4020 रुपए प्रति वर्ग मीटर, सी. व डी. श्रेणी की कालोनियों में 1610 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ई.एफ. एवं जी. श्रेणी की कालोनियों में 50 वर्ग मीटर तक वाली सम्पत्तियों पर 564 रुपए प्रति वर्ग मीटर व 50 वर्ग मीटर से अधिक सम्पत्तियों के लिए 305 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क देना होगा। स्वीकृत से अधिक परन्तु अनुमन्य ऊंचाई के अन्दर अतिरिक्त कवरेज के लिए ए व बी. श्रेणी की कालोनियों में 4375 रुपए प्रति वर्ग मीटर, सी. एवं डी. कालोनियों में 1750 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ई.एफ. एवं जी. श्रेणी की कालोनियों में 50 वर्ग मीटर तक की सम्पत्तियों पर 613 रुपए प्रतिवर्ग मीटर, 50 वर्ग मीटर से अधिक बड़ी सम्पत्तियों पर 875 रुपए, 23 जुलाई 1998 के अनुसार अनुमेय ऊंचाई से अधिक लेकिन 15 मीटर के अन्दर अतिरिक्त कवरेज हेतु ए. व. बी. श्रेणी कालोनियों में 4900 रुपए प्रति वर्ग मीटर, सी. एवं डी. श्रेणी कालोनियों में 1960 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ई.एफ. एवं जी. श्रेणी कालोनियों में 50 वर्ग मीटर तक वाली सम्पत्तियों पर 686 रुपए तथा इससे बड़ी सम्पत्तियों पर 980 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क अदा करना होगा। श्री बिजेन्द्र गुप्ता के मुताबिक रिहायशी सम्पत्तियों के मामलों में जिनमें बेसमेंट भी सम्मिलित है। अतिरिक्त कवरेज की पूरे मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत स्वीकृत से अधिक किन्तु अनुमेय ऊंचाई के अन्दर अतिरिक्त कवरेज हेतु दरें प्लाट पर अतिरिक्त अनुमेय क्षेत्र के परिणामस्वरूप व्यावसायिक वाणिज्यिक कार्यों के लिए तहखाने का उपयोग आदि के लिए ए व बी. श्रेणी की कालोनियों में 4375 रुपए प्रति वर्ग मीटर, सी एवं डी. श्रेणी कालोनियों में 1750 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ई.एफ. एवं जी. श्रेणी की कालोनियों में 50 वर्ग मीटर तक वाली सम्पत्तियों पर 613 रुपए प्रति वर्ग मीटर व इससे अधिक बड़ी सम्पत्तियों के लिए 875 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क देना होगा। श्री गुप्ता ने स्पष्ट किया कि आवेदक को एफ.ए.आर. प्रभारों के अलावा मिश्रित भूमि उपयोग प्रभारों का भुगतान करना होगा। श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अलोट की गयी सामूहिक सहकारी आवास समितियों के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. के शुल्क वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के लिए वही होंगे जैसे कि ऊपर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक सम्पत्तियों (होटलों और पार्किंग प्लाटों को छोड़कर) अतिरिक्त एफ.ए.आर. की दरें मध्य, दक्षिणी एवं द्वारका में 83 हजार 130 रुपए उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा रोहिणी में 54 हजार 825 रुपए तथा नरेला में 16 हजार 249 रुपए होंगी। आंशिक सेवों में स्थित प्लाटों के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. की दरें मध्य, दक्षिणी एवं द्वारका में 20 हजार 590 उत्तरी, पूर्वी पश्चिमी तथा रोहिणी में 14 हजार 341 रुपए, नरेला में 9750 रुपए होंगी। संस्थागत क्षेत्रों के प्लाटों जिनमें अस्पताल के प्लाट भी सम्मिलित हैं के अतिरिक्त एफ.ए.आर. की दरें दक्षिणी एवं द्वारका में 29 हजार 528 रुपए उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा रोहिणी में 13 हजार रुपए नरेला में 9691 रुपए होंगी।

■ सभी क्षेत्रीय उपायुक्तों को शुल्क प्राप्त कर सम्पत्तियां नियमित करने के आदेश

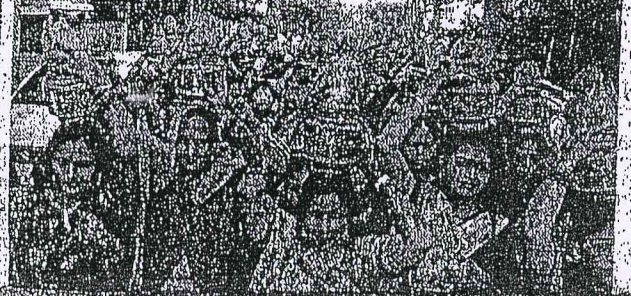

सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने के लिए याचिका

नई दिल्ली, (विधि संवाददाता): आईआईटी (इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी) के प्राध्यापकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में गुहार लगाई कि उनकी सेवानिवृत्त की आयु अन्य उच्च शैक्षिक संस्थानों की तरह 62 वर्ष की जाए। न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने गाडगिल सहित 25 वरिष्ठ प्राध्यापकों ने याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने अपने मार्च 2007 फैसले के अन्तर्गत सभी उच्च शैक्षिण संस्थानों में शिक्षकों के आभाव के कारण प्राध्यापकों की सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष कर दी थी लेकिन बाद में मार्च

एनडीपीएल ने बांटी पालिसियां

नई दिल्ली, (पेट्री) : उत्तर और उत्तर-पश्चिम इलाके में बिजली सप्लाई करने वाली निजी बिजली कंपनी एनडीपीएल ने सोमवार को जेजे कालोनियों में रहने वाले अपने रजिस्टर्ड उपभोक्ता को एक-एक लाख रुपये की बीमा पालिसियां बांटी। ज्ञात रहे कि एनडीपीएल ने अपने उपभोक्ताओं के लिए इस पालिसी की घोषणा छह माह पहले की थी जिसे आज अमलीजामा पहनाया गया। एनडीपीएल प्रवक्ता के मुताबिक एक-एक लाख रुपये की ये सावधि पालिसियां जे जे कालोनियों में रहने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त दी जा रही है।

अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से निविदायें दो भागों में लेटर पैड पर दिनांक 22/1.09 को 15 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता/मनोनीत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थित में 15.30 बजे खोली जायेगी। उक्त निविदाओं हेतु धरोहर राशि एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में देय हो जमा करना अनिवार्य है। निविदा के प्रथम भाग में धरोहर धनराशि तथा द्वितीय भाग में कार्य से सम्बन्धित मूल्य आदि होगें। अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सम्पूर्ण निविदा या उसके किसी भी अंश को बिना कोई कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
निविदा सूचना सं0-TS-46, कार्य का विवरण- Digital meter 96x96mm. Frequency meter, मात्रा- 04 Nos., धरोहर धनराशि- 200.00
निविदा सूचना सं0-TS-47, कार्य का विवरण-MCB 3x4x16 Amp. मात्रा-08 Nos., विवरण- MCB 1x6x4 Amp., मात्रा-08 Nos., धरोहर धनराशि-

अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से निविदायें दो भागों में लेटर पैड पर दिनांक 24.2.09 को 15 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरकर्ता/मनोनीत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थित में 15.30 बजे खोली जायेगी। उक्त निविदाओं हेतु धरोहर राशि एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में देय हो जमा करना अनिवार्य है। निविदा के प्रथम भाग में धरोहर धनराशि तथा द्वितीय भाग में कार्य से सम्बन्धित मूल्य आदि होगें। अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सम्पूर्ण निविदा

TRAVEL

PASSPORT ASSISTANCE

PASSPORT Facilities of name add change tatkal sewa new renewal ECNR/PCC at your door step. V. S. Tour# 30838038/39, 9313754419.

Father Retd. Gov. Officer Contact M: 9968987497 Email: cqaars@yahoo.co.in - BHP must. Subcaste no bar.

MUSLIM

SUITABLE match for Sunni muslim Shaikh 27/5'3" girl MBBS from Nepal Preparing for M.C.I Contact:09997486168 ,09412544722 Email: neversaydiearmaan@gmail.com

Booking an ad never got so easy !

Authorised Times Space Centers

You can now book your classified ads at any of our Authorised Times Space Centers as listed below :

FARIDABAD: B.K. Chowk : R. K. Advertising ☎:0129-4033253, 9810456253 Ballabgarh: DGS Media ☎: 9810688237, 9810549048 Kalyan Singh Chowk : BSS Advertising & Marketing ☎: 9818078183, 9811502088 Neelam Flyover: Durga Advertising ☎: 9811195834 NIT: Ritika Ads ☎: 0129-2429890, 9350309890 Sector 15: Pulse Advertising Solutions ☎: 9810462255, 4022255 Sector 31: Karan Advertising & Marketing ☎: 9810318205, 0129-4151205

GHAZIABAD: Ambedkar Road: Universal Advertising ☎: 0120-2798518, 9312364247 Gobindpuram: Prince Publicity ☎:0120-2764012, 9868457701 Hapur More: Tirupati Balaji Advertising & Marketing ☎: 9871895198 , 9310522380 Vaibhav Khand/ Indirapuram: Shree Advertising ☎:9213270050, 9818902981 Sahibabad: Media Mantra Advertising ☎:9560211002, 0120-3018902 Vaishali: Green Channel Communication ☎: 9899721820, 9310321820, Prachar Sewa Kendra ☎: 9818857715, 0120-2772275.

GURGAON: Civil Lines: Shanti Advertising Agency ☎: 9811685522 DLF City : Bhavya Enterprises ☎: 0124-4059245, 9958584466 Palam Vihar: Oasis Advertising ☎: 0124-4064901, 9811929792 Sadar Bazar : Bansal & Co. ☎: 0124-2329442, 9818957999 Sector 14: Fortune Ads & Comm. ☎: 0124-4082252, 9810083817 Shushant Lok: Ad-Edge ☎: 9311779792, 9811779792 Signature Tower South City-I: Adonix Advertising ☎: 9810366113, 4257450 Sohna Road : Shivay Adverti-sing ☎: 9810834415

NOIDA: Film City: Bharat International, ☎: 0120-3918954, 9811771711 Greater Noida: Media Network, ☎: 0120-4291029, 9310919359 S.S Advertisers ☎: 9810792253 Sector 22: N.K. Comm-unications & Marketing ☎: 0120-4548859, 9810425581 Sec27/Atta Mkt.: Aashirwad Media Associates ☎: 9891371063, 9312541624 Sec - 29, RDX Advertising ☎: 0120-2453602, 9810662089 Sec. 31: The Sai Media ☎: 0120-4216117, 9810506092 Sector 34 : Bottomline Advertising ☎: 0120-4311221, 9810611221

BAHADUR GARH : Shyamji Complex: Rohini Advertising ☎: 9560715566, 9136155972

KARNAL: Club Market: Grover advertising agency ☎: 0184-4044026, 09896694026

PANIPAT: Gohana Road: Royal Advertising ☎: 92151-40800 Om Ad Agency ☎: 9729302332,9467725177.

SONEPAT: Geeta Bhawan Chowk: Girish Advertising Agency ☎: 9896333534, 9215333534 Railway Road: Sethi ad. Agency ☎: 09896399025

MEERUT: Prominent Communication ☎: Ph: 0121-2523498, 0121-2403151 Kunika Advertising ☎: 4023820 09818373200 R R Classifieds ☎: 0121-2641338, 2401294, 09412203620 Shivam Enterprises ☎: 9720004668, 9412206644, 0121-2646464 Singhal Advertising ☎: 0121-2660066, 2665166, 9837168466 Chhabra Advertising ☎: 0121-2662558 Mob:9897062558.

MODI NAGAR: The Neo Generations Group ☎: 9837491271

For any TSC Enquiry or to avail the Agency Booking System facility for booking classifieds advertisements from your office please call : Subhabrata - 9871361142, Ramit - 9810735151, or 011-23302335, 23492079 or e-mail to subhabrata.bardhan@timesgroup.com For booking online logon to www.adszbook.com

TIMESCLASSIFIEDS

दिल्ली वालों को नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी का कहना है कि उस वक्त डीईआरसी बिजली की दरें कम करने जा रही थीं लेकिन ऐन मौके पर दिल्ली सरकार ने उसे रोक दिया। अब अटॉर्नी जनरल ने ही कह दिया है कि दिल्ली सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी।

कहा, नई दरों की घोषणा रोके जाने से दिल्ली वालों का नुकसान हुआ

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और विपक्ष के नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने अलग-अलग बयानों में ही है कि दिल्ली सरकार की इस हरकत

मांग का था कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जाए लेकिन बिजली कंपनियों की यह दलील डीईआरसी के गले नहीं उतरी। आयोग ने खातों की जांच कराई तो पता चला कि गत साल 3577 करोड़ रुपये का फालतू मुनाफा कमाया। इसी वजह से डीईआरसी बिजली की दरों को कम करने की राय दे रही थी लेकिन सरकार ने डीईआरसी को इस बारे में आदेश देने से इनकार कर दिया।

3-12-10

कुछ ले-देकर ही क्यों बन पाता है मकान

सरकार के नियम कायदे भी जिम्मेदार

रामेश्वर दयाल ॥ नई दिल्ली

राजधानी में आखिर अवैध निर्माण को बढ़ावा क्यों मिल रहा है और क्या कारण है कि लोगों को नक्शा पास करने के लिए सालों धक्के खाने पड़ते हैं और आखिर में ले-देकर ही अपना मकान बनवाना पड़ता है। असल में इसके लिए नया मास्टर प्लान तो दोषी है ही, एमसीडी का पुराना यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज भी लोगों को नक्शा पास करवाने में रोड़ा अटका रहा है। इन दोनों में बदलाव संभव है, लेकिन एमसीडी अधिकारी इसके लिए पहल नहीं करते ताकि भ्रष्टाचार जारी रहे। इस मामले में एमसीडी के टाउन प्लानिंग विभाग और विधि विभाग को हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है।

मास्टर प्लान व यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज से आती है दिक्कत

नए मास्टर प्लान से बढ़ीं मुश्किलें

राजधानी में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का नक्शा पास करने या उसे नियमित करने का अधिकार एमसीडी के पास है। एमसीडी के पास यह भी अधिकार है कि वह नए मास्टर प्लान के प्रावधानों को लागू करे, ताकि दिल्ली का सही तरह से स्ट्रक्चरल विकास हो सके। लेकिन एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज और मास्टर प्लान के कुछ नियम इतने दुरुह हैं कि नक्शा पास करवाना किसी बड़े युद्ध को जीतना है। पहले मास्टर प्लान की बात करें। उसमें यह प्रावधान है कि अगर किसी प्लॉट के दो या उससे अधिक टुकड़े (सब डिविजन) हो जाते हैं तो किसी भी हालत में उसका नक्शा पास नहीं किया जा सकता। अब जिस तरह से परिवार बढ़ रहे हैं या उनमें झगड़े होकर जमीन जायदाद का बंटवारा हो रहा है तो उस जमीन का नक्शा पास न होना खासा परेशानी का कारण है।

एमसीडी का बिल्डिंग बायलॉज गड़बड़

अब एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज की बात करें। अगर किसी ने कोई पुराना मकान या जमीन आधिकारिक तौर पर खरीद ली है तो एमसीडी में उसका नक्शा पास कराने के लिए उस मकान के पुराने मालिकों की पूरी चेन का दस्तावेज एमसीडी का सौंपना होगा या पुराने मालिकों से उसका एनओसी लाना होगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति ने अगर किसी मकान की छत खरीद ली है तो उसे नीचे बने मकानों के मालिकों से एनओसी लेना होगा, जो काफी परेशानी वाला काम है। एक नियम यह भी है कि हर फ्लोर का अलग से नक्शा पास कराना होगा। राजधानी में एक नियम यह भी है कि अगर कहीं पुरातत्व महत्व का स्ट्रक्चर है तो उसके आसपास 300 गज के दायरे में कोई निर्माण नहीं हो सकता। जबकि इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और एमसीडी के भ्रष्टाचार के कारण ऐसे स्ट्रक्चरों के आसपास स्लम जैसी स्थिति बन गई है। पुरानी दिल्ली, कटवारिया सराय, मुनिरका आदि इलाके इसके उदाहरण हैं।

टाउन प्लानिंग व लॉ डिपार्टमेंट घेरे में

इस मामले में एमसीडी के इंजीनियरिंग विभाग के आला अधिकारी अपने ही टाउन प्लानिंग विभाग और विधि विभाग पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाते हैं। अफसरों का कहना है कि जब नया मास्टर प्लान बन रहा था तो इन विभागों को कहा गया था कि वे सब डिविजन वाले मामले को नए मास्टर प्लान से हटवाएं, लेकिन उसके अफसरों ने वहां कोई पक्ष ही नहीं रखा। जब कोई व्यक्ति कानूनी तरीके से कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो पुराने मालिकों की चेन का दस्तावेज क्यों जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी मकान की छत खरीद लेता है तो उसे नीचे के मकान मालिकों से एनओसी की क्या जरूरत है। अगर ये दोनों विभाग बहुत पहले से एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज को बदलवाने के लिए केंद्र सरकार से गुजारिश करते तो आज ऐसी हालत नहीं होती। इंजीनियरिंग विभाग का यह भी कहना है कि अगर किसी पुरातात्विक महत्व के स्ट्रक्चर के आसपास कोई छोटी-मोटी रिहायशी इमारत बन रही है तो उससे स्ट्रक्चर को क्या नुकसान होने वाला है। इस पक्ष को भी कभी केंद्र सरकार के सामने नहीं रखा गया। विभाग का यह भी कहना है कि राजधानी में हर इलाके का अलग अलग लेआउट प्लान बना हुआ है। लेकिन टाउन प्लानिंग विभाग ने उसे आज तक ऑनलाइन नहीं किया, जिससे लोगों इसका पता नहीं लग पाता। ऐसे में वे एमसीडी इंजीनियरों का कहना मानकर चढ़ावा चढ़ाने पर मजबूर हो जाते हैं।

भियंताओं की सूची तैयार

ऐसे निर्माणों को भी निशाना बना रहा है, जहां अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। बिल्डिंग विभाग के

भाग से बेदखल किया जायेगा : दागी
ड़फोड़ नहीं कर सकेंगे

अभियंताओं ने ही इमारत बनाने वालों से सांठगांठ कर अवैध निर्माण होने दिया है और अब वे ही इसे ने में लगे हैं। इस कारण निगम क न अधिकारियों को संदेह है कि इंजीनियरों की कार्यप्रणाली को लेकर कहीं लोग न्यायालय में दस्तक न दे दें, अगर मामला न्यायालय में गया तो निगम खूब खरीखोटी सुनने को मिलेगी। इस कारण दागी इंजीनियरों को बिल्डिंग विभाग से हटाने का निर्णय लिया गया है। निगम निर्माण समिति के अध्यक्ष जगदीश ममगाई के अनुसार बिल्डिंग विभाग में ऐसे इंजीनियरों की संख्या करीब 30 है, जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। भ्रष्ट आचरण के कारण किसी इंजीनियर को सीबीआई ने दबोचा है या कोई भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के हत्थे चढ़ा है। बावजूद इसके मजे से दागी अभियंता भवन विभाग में जमे हुए हैं। दिल्ली नगर निगम में जप्रतिनिधियों और अन्य लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि दागी अभियंता अपने इलाकों में अवैध निर्माण को बढ़ावा देने में लगे हुए है। शिकायतों के मद्देनजर निर्णय लिया गया है कि इन अभियंजताओं को तुरंत प्रभाव से वर्क्स, प्लानिंग, सफाई आदि विभागों में भेज दिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि जो इमारत अवैध बनना शुरू होती है, उसे शुरूआती दौर में रोक दिया जाए ताकि निगम की छवि साफ हो।

शुल्क लेकर अवैध भवनों को नियमित करने का आदेश दिया

नई दिल्ली, (मैट्रो): दिल्ली नगर निगम अब सब डिवीजन प्लाट व जोड़ों के नक्शे जल्द से जल्द पास करने व मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत 15 मीटर तक ऊंचे निर्मित भवनों को शुल्क लेकर नियमित करने का कार्य जल्द ही शुरू करेगा। इस बाबत आदेश जारी करते हुए निगम निर्माण समिति के अध्यक्ष जगदीश ममगई ने कहा कि दिल्ली में एक लाख से अधिक भवन तकनीकि कारणों से नियमित नहीं हैं, जिनके चलते संपत्ति स्वामियों के सिर पर सदैव तलवार लटकी रहती है। ममगई ने कहा कि दिल्ली में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के मुकाबले आवासीय इकाइयों का अभाव है, इसके लिए सदि निर्मित भवन का ढांचा सुदृढ़ है तो उन्हें शुल्क लेकर नियमित किया जाना चाहिए। इस आशय का प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम पाले में है। उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी से अपील की है कि इस संबंध में अधिसूचना तुरंत जारी की जाए और अधिक विलंब करने से दिल्लीवासियों को तोड़फोड़ व सीलिंग का सामना करना पड़ सकता है। निर्माण समिति अध्यक्ष ने निगम के भवन विभाग से सभी आपराधिक मामलों में लिप्त अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दागी अधिकारियों को हटाने से आम जनता का निगम के प्रति भरोसा बढ़ेगा।

दिल्ली की सुरक्षा के लिए कारगर योजना बनाए जाने की जरूरत : शीला

नई दिल्ली, (नगर प्रतिनिधि): दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और सुरक्षा व्यवस्था का लेकर चिंतित मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने दिल्ली की सुरक्षा को और चाक-चौबंद करने के लिए ठोस कारगर योजना बनाएं जाने की बात कही है। साथ ही यहां के महत्वपूर्ण बाजारों, सिनेमाघरों, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर र अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए चाहिए ताकि चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा सके। यह बात आज यहां जर्मन के प्रतिनिधिमंडल से आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तकनीक पर विचार-विमर्श करने के बाद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कही। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा से संबंधित उपकरणों एवं तकनीक के लिए दिल्ली सरकार और जर्मनी के बीच आपसी सहयोग एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा इससे आपदा प्रबंधन के दौरान दिल्ली और जर्मनी को लाभ मिलेगा।

प्रतिनिधिमंडल में जर्मनी की सुरक्षा एवं तकनीकी कंपनियों के सीईओ व अन्य अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली सचिवालय में हुई इस मुलाकात में आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा संबंधी विषयों पर गहन चर्चा की गई। जर्मनी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे फैडरल मिनिस्ट्री आफ इकोनामिक्स एंड टैक्नालोजी के पार्लियामेंट स्टेट सैक्रेटरी अर्नस्ड ब्रूग बैचर ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रतिनिधिमंडल आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपकरणों से संबंधित अहम मुद्दों एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने भारत के गृह सचिव से मुलाकात कर सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है।

डी.यू. में नुक्कड़ नाटक

नई दिल्ली, (मैट्रो): दिल्ली विश्वविद्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन और नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर डूसू की उपाध्यक्ष प्रिया डबास ने बताया कि नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में आत्मा राम सनातन धर्म कालेज ने पहला पुरस्कार जीता और राजधानी कालेज ने द्वितीय पुरस्कार।

इस अवसर पर सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने रक्तदान किया। बाद में वृक्षारोपण भी किया गया।

उद्योग भवन में आग लगी

नई दिल्ली, (मैट्रो): सरकारी कार्यालयों में आग लगने की घटनाओं में बीती रात और वृद्धि हो गई। केंद्र सरकार के उद्योग मंत्रालय का कार्यालय उद्योग भवन आग की चपेट में आ गया। भवन के प्रथम तल में लगी आग में कागजात और फर्नीचर जल कर राख हो गया। आग से हुए नुक्सान का जायजा लिया जा रहा है। दमकल विभाग के मुताबिक आग लगने की दूसरी घटना करोलबाग इलाके में लिबर्टी सिनेमा हाल के पास स्थित एक प्लास्टिक गोदाम की है। चार मंजिला इस भवन में लगी आग को काबू करने में पांच घंटे का समय लगा।

उत्तर पश्चिम रेलवे — वाणिज्य विज्ञापन हेतु खुली निविदा आमंत्रण

NIT : 28/NIT/Vinyl Wrapping / 10 — Date : 06.12.2010

भारत के राष्ट्रपति की ओर से तीन वर्ष की अवधि के लिए जोधपुर मंडल पर संचालित यात्री गाड़ी सं. 2479/2480, 2466/2465 व 491/492 के सवारी डिब्बों की बाहरी सतह पर विनाइल रेपिंग के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु दो पेकिट टेन्डर पद्धति के अंतर्गत एक मात्र अधिकार की अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए मुहरबंद लिफाफे में अनुभवी विज्ञापन एजेंसी/क्लाईंट से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा सं.	कार्य का नाम एवं स्थान	कार्य की अवधि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि	निविदा फार्म का मूल्य
28	जोधपुर मंडल पर संचालित यात्री गाड़ी सं. 2479/2480, 2466/2465, 491/492 के सवारी डिब्बों की बाहरी सतह पर विनाइल रेपिंग के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु।	तीन वर्ष	Rs. 22,46,640/- (प्रथम वर्ष के लिए)	Rs. 45,000/-	Rs. 3000/-

1. कार्यालय का पता जहाँ से निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता है : इच्छुक निविदाकार निविदा फार्म 04.01.2011 तक वाणिज्य शाखा, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जोधपुर से किसी भी कार्य दिवस में व दिनांक 04.01.2011 के 17.00 बजे तक प्राप्त कर सकते है। निविदा फार्म उत्तर पश्चिम रेलवे की वेबसाईट www.northwesternrailway.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस स्थिति में निविदाकार को निविदा के साथ फार्म की कीमत तथा बयाना राशि के मूल दस्तावेज लगाने होंगे। बिना उपयुक्त बयाना राशि, निविदा फार्म की कीमत के दस्तावेज तथा सशर्त टैंडर (Conditional Tender) अस्वीकार्य है तथा निरस्त करने योग्य होंगे। 2. निविदा प्राप्त करने / खोलने की तिथि एवं समय : निविदा वाणिज्य शाखा, उ.प.रे. जोधपुर में रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 05.01.2011 को 15.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी तथा उसी दिन तत्पश्चात् निविदाकार या उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। यदि निविदा खुलने की तिथि को किसी कार्यवश अवकाश रहता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को उसी समय खोली जायेगी। 3. वेबसाईट तथा नोटिस बोर्ड जहाँ से निविदा के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है : निविदा के संबंध में पूरी जानकारी वेबसाईट www.northwesternrailway.gov.in से अथवा वाणिज्य शाखा, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर के कार्यालय के बाहर लगे नोटिस बोर्ड से प्राप्त की सकती है। 326/J

जोधपुर-हिसार-जोधपुर होलीडे स्पेशल सवारी गाड़ी
जोधपुर से प्रस्थान 11.00 (प्रतिदिन), हिसार से प्रस्थान 05.15 (प्रतिदिन)

करते रहने का संकल्प

जन्म दिवस

करोल बाग युवा कांग्रेस, सरदार

दिल्ली नगर निगम